

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
E-mail-rscelluk@gmail.com

संख्या /स0सु0 / 1-8(209) / ई-55737 / 2025 दिनांक: अगस्त, 2025

कार्यालयादेश

कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या-177048 /स0सु0 / 1-8(209) / ई-55737 / 2025 दिनांक 26-05-2025 के अन्तर्गत ई-टेंडर (टेंडर आईडी-2025.UTC3_4328_1 दिनांक 27-05-2025) के द्वारा उत्तराखण्ड में ब्लैक स्पॉट, सड़क खंडों और जंक्शनों के सड़क सुरक्षा मूल्यांकन के लिए अनुभवी और योग्य एजेन्सियों को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

कार्यालयादेश संख्या-184782 /स0सु0 / 1-8(209) / ई-55737 / 2025 दिनांक 20 जून, 2025 के अन्तर्गत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित 09 फर्मों को ब्लैक स्पॉट, सड़क खंडों और जंक्शनों के सड़क सुरक्षा मूल्यांकन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है:-

क्रम संख्या	फर्म का नाम
1	M/s Antique Buildtech Pvt. Ltd.191, Mohan Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur, Rajasthan, 302018.
2	M/s Siddharth Niraj, Infrastructure Development Consultants, 141, Sahyog Vihar, E-8 Extensopm Apex bank Colony, Bhopal (M.P.) 462039.
3	M/s Techmodec Consultants Pvt. Ltd. 47/195, Rajat Path, Mansarovar, Jaipur Rajasthan-302020
4	M/s Translink Infrastructure Consultant Pvt. Ltd.1103, Square Corporate Park, Near Shukan Mall cross road, Ahmedabad, Gujrat-380060.
5	M/s Craphts Consultants India Pvt. Ltd.14/3, Mathura Road, Faridabad-121003.
6	M/s Consulting Engineers Group Ltd. CEG Tower, Malviya Industrial Area, Jaipur-302017.
7	M/s Shweta Technophile Consultants Pvt. Ltd. 222, 313 2 nd & 3 rd floor, rajhans Plaza, Indirapuram, Ghaziabad-201014
8	M/s Jai shankar Jha, Ayoleeza Consultants Pvt. Ltd. Noida-201304
9	M/s Technical Consultancy Services,14 C Arawali Enclave, G.M.S. Road, Dehradun.

उक्त सूचीबद्ध फर्म परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड हेतु मान्य होंगे तथा इनकी वैधता दिनांक 31-08-2027 तक रहेगी तथा दिनांक 31-08-2027 के पश्चात् पंजीकरण का पुनः नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उपरोक्त आदेश परिवहन आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(सनत कुमार सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /स0सु0/1-8(209)/ई-55737/2025समदिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ वैयक्तिक अधि०, परिवहन आयुक्त को परिवहन आयुक्त महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित फर्मों को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में किसी स्तर पर जांच करने पर त्रुटि पायी जायेगी तो आपका सूचीबद्धता प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया जायेगा।

(सनत कुमार सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।